लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 11 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 27.01.2020

श्री प्रमोद पाल सिंह निवासी 99–राजेन्द्र नगर, निम्बाहेड़ा–312601

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.12.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 11 / 2020 / (18.02) / 70 दिनांक 27.01.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.02.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 18.02.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/27 दिनांक 29.01.2020 से कमेन्ट्स प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री प्रमोद पाल सिंह निवासी 99 राजेन्द्र नगर, कंचन नगर के सामने, निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2019 का प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 18.12.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी श्री प्रमोद पाल सिंह निवासी निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के सभी बिन्दु प्रश्नात्मक होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2015/2358 दिनांक 24.12.2019 से सूचित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र क्रमांकप–3(22)प्रसू/सूअसप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के तहत व्यवस्था दी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी जाने से अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/27 दिनांक 29.01.2020 से प्रेषित कमेन्ट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नक का

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 11/2020 (सू.अ.)
श्री प्रमोद पाल सिंह निवासी निम्बाहेड़ा बनम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अवलोकन कर उस पर मनन किया जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.12.2019 से पंचायत समिति क्षेत्र निम्बाहेड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संबंधित सूचनाऐं चाही गई है जो कि काल्पनिक या प्रश्नात्मक नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) से संबंधित नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ का यह दायित्व था कि वह संबंधित लोक प्राधिकरण/संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अपीलार्थी का आवेदन, आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक से 05 दिवस के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत स्थानान्तरण कर इसकी सूचना अपीलार्थी को देवे, किन्तु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा ऐसा करना नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित लोक सूचना अधिकारी से, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं प्राप्त कर 15 दिवस की अवधि में अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./11/2020(सू.अ.)/154 दिनांकः– 19/02/2020

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री प्रमोद पाल सिंह निवासी 99–राजेन्द्र नगर, निम्बाहेड़ा–312601

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)